संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्र./आई.डी.एस.पी./2021/1090 भोपाल, दिनांक23.07.2021

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म.प्र।
2. समस्त अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, म.प्र।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र।
4. समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, म.प्र।

विषयः– प्रदेश में कोविड–19 के वर्तमान परिदृश्य में दिशा–निर्देश जारी करने के संबंध में।

––0––

पूर्व में प्रदेश में कोविड–19 के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा संक्रमण को नियंत्रित किये जाने हेतु सर्विलेंस, कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग, कन्टेन्मेंट ज़ोन इत्यादि एपिडेमियोलॉजिकल गतिविधियों के संचालन हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। वर्तमान में अपेक्षाकृत रूप से कोविड–19 के प्रकरणों की संख्या में कमी परिलक्षित हुई है।

अपेक्षित तीसरी लहर को संभावना को दृष्टिगत रखते हुए समुदाय में संक्रमण के नियंत्रण व रोकथाम हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार जारी किये जाते है :–

1. वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 75 हजार टेस्ट सम्पादित किये जा रहे है। प्रदेश में कोविड–19 टेस्टिंग की व्यापकता एवं सघनता निरंतर अधिकतम स्तर पर सुनिश्चित किया जाए।
2. जिले में एक भी व्यक्ति पॉजिटिव पाये जाने पर उसके कम से कम 25 Contacts की Tracing की जाए तथा उनके निकटतम व High Risk Contacts को आइसोलेट कर उनकी कोविड–19 की जॉच सुनिश्चित की जाए।
3. कम लक्षण वाले तथा लक्षण रहित कोविड–19 पॉजिटिव रोगियों को Home isolation में आइसोलेट कर मेडिसिन किट उपलब्ध कराई जाए तथा डिस्ट्रिक कोविड कमान्ड कन्ट्रोल सेन्टर द्वारा टेली कन्सलटेशन के माध्यम से नियमित निगरानी की जाए।
4. वर्तमान में कोविड केयर सेन्टर में भर्ती मरीजों की संख्या शून्य है। अतः जिलों में संचालित कोविड केयर सेन्टर को बंद किया जाए। यदि किसी कोविड–19 पॉजिटिव रोगी को भर्ती किये जाने की आवश्यकता है, तो जिलें में स्थित जिला चिकित्सालय अथवा मेडिकल कॉलेज में से किसी एक में कोविड वॉर्ड तथा कोविड आई.सी.यू. चिन्हाकिंत कर भर्ती की व्यवस्था की जाए। ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पूर्व में एम्स, दिल्ली द्वारा जारी किये अनुसार ही रहेगा।
5. कोविड–19 उपचार हेतु केवल वही निजी चिकित्सालय उपचार प्रदाय कर सकेंगे जिन्हें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया हो तथा वे सार्थक पोर्टल पर दर्ज हो। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अधिकृत न होने की स्थिति में कोई भी निजी चिकित्सालय कोविड–19 मरीज का उपचार नहीं कर सकेगा।
6. शहरी क्षेत्रों में सक्रिय प्रकरण पाये जाने पर Micro-containtment Zone बनाये जाए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पंचायतों में सकिय प्रकरण पाये जाने पर मैदानी टीम के माध्यम से एक्टिव सर्विलेंस किया जाए।
7. कोविड–19 की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत कोविड अनुकूल व्यवहार के संबंध में समुदाय में जागरूकता हेतु कार्यवाही की जाए।

निरंतर......2

8. चिकित्सा संस्थाओं में बिस्तरों की संख्या में संवर्धन, उपकरणों, औषधियों, ऑक्सीजन तथा सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
9. चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत/पदस्थ मानव संसाधन को निंरतर प्रशिक्षित किया जाए।

उक्त विषय में निर्देशों का पालन करते हुए कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अपर मुख्य सचिव, लो.स्वा. एवं परि.क.वि. एवं चि.शिक्षा विभाग द्वारा अनुमोदित।

(आकाश त्रिपाठी)
स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

क्रमांक/आई.डी.एस.पी/2021/1091 **भोपाल, दिनांक 23/07/2021**

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ।

1. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश।
2. आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र.।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम. भोपाल।
4. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, संभागीय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।

स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग